भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1243

उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

लक्षद्वीप में डीआईईटी

†1243. **श्री हमदुल्ला सईद:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), लक्षद्वीप बिना नियमित प्रधानाचार्य के कार्य कर रहा है तथा अतिरिक्त प्रभार प्रायः अयोग्य अधिकारियों को सौंपा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का नियमित आधार पर डीआईईटी में उचित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव वाले योग्य प्रधानाचार्य की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या लक्षद्वीप में डीआईईटी व्याख्याताओं को अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के समकक्षों की तुलना में कम वेतनमान मिल रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, लक्षद्वीप ने सूचित किया है कि डीआईईटी लक्षद्वीप के प्रधानाचार्य पद का अतिरिक्त प्रभार संस्थान के कामकाज की देखरेख के लिए अपेक्षित प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अधिकारी को सौंपा गया है।

(ग) और (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, देश में अधिकांश शैक्षणिक संस्थाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आती हैं। संकाय सदस्यों की भर्ती और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यक्षेत्र में आती हैं। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, लक्षद्वीप ने सूचित किया है कि उक्त पद के लिए भर्ती नियम विभाग के विचाराधीन हैं।

इसके अतिरिक्त, नवीन शिक्षण पद्धति, सतत व्यावसायिक विकास और आईसीटी एकीकरण के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण को पुनः परिकल्पित करने के उद्देश्य से, डीआईईटी को स्कूली शिक्षा की एकीकृत योजना - समग्र शिक्षा के तहत जीवंत उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में विकसित किया जाना है। उत्कृष्टता केंद्र के रूप में डीआईईटी (डीआईईटी सीओई) पहल के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से रिक्त पदों को भरने और प्राथमिकता के आधार पर प्रधानाचार्य सहित नियमित संकाय की नियुक्ति करने की अपेक्षा की जाती है। इस पहल के तहत एक नियमित और योग्य डीआईईटी प्रधानाचार्य की उपस्थिति, डीआईईटी को सीओई के रूप में विकसित करने के लिए एक प्रमुख मानदंड और अर्हता है।

(ङ) से (छ): संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, लक्षद्वीप ने सूचित किया है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), लक्षद्वीप में व्याख्याताओं का वेतन वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसार संशोधित किया गया है।

तदनुसार, ग्रेड पे 4800 (6वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) के साथ 9,300-34,800 रुपये के पूर्व-संशोधित वेतनमान को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 में स्तरोन्न्त किया गया है, जो 47,600-1,51,100 रुपये की वेतन सीमा के अनुरूप है।

***